मध्य रेल, नागपुर

केस स्टडी-26/2025

टी.आर.ओ. नागपुर

जारी तिथि : 24.09.2025

SPAD

घटनाक्रम: दिनाँक 23.9.25 को उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में गाड़ी संख्या 64587 UP (MEMU), जो कानपुर कर्मीदल द्वारा संचालित किया जा रहा था, कानपुर स्टेशन से 14.13 बजे स्टार्ट हुई। गाड़ी भौपुर (BPU) स्टेशन पर 15.33 से 15.55 बजे तक खड़ी रही, स्टार्ट होने के पश्चात लोको पायलट द्वारा खंड में पड़ने वाले सतर्कता आदेश (75, 40 व 30 Kmph) का पालन भी किया गया। सतर्कता आदेश पार करने के बाद लोको पायलट ने गाड़ी की गति बढाई, कर्मीदल को ऑटोमेटिक सिग्नल नं. A/509 – दो पीला तथा अगला सिग्नल A/511 - एक पीला मिला, उस समय गाड़ी की गति 95 kmph थी, लोको पायलट ने अपनी गाडी की गति सिग्नल अनुसार कम नहीं की, परिणामस्वरूप मैथा (MTO) स्टेशन का होम सिग्नल, जो लाल था, को **ऑन** स्थिति में पार करके **लगभग 88 मीटर** आगे जाकर रुकी। (समय: 16.08 बजे, **कुल कार्य घंटे - 2.33 घंटे**, ब्रेक पॉवर – 100%)

संभावित कारण:

- सिगनल नं. A/511 एक पीला देखने के बाद भी लोको पायलट द्वारा समय पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहना।
- लोको पायलट को "एक पीला" सिग्नल दिखने पर भी गाड़ी की गति को 95 Kmph रखना।
- कर्मीदल द्वारा होम सिग्नल के संकेत लाल है, ये देखने में विफल रहना।
- सिगनल नं. A/511 एक पीला तथा होम सिग्नल लाल दिखने पर भी ALP द्वारा समय पर RS वाल्व का न खोलना।

उपरोक्त घटना से सबक:

- ✓ लोको पायलट **"एक पीला"** सिग्नल दिखने पर अपनी गाड़ी की गति को नियमानुसार रखें।
- ✓ LP/ALP को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-1 बार, दो पीला-2 बार, एक पीला-3 बार व लाल-4 बार।
- ✓ गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न हो एवं पूरा ध्यान सिग्नल संकेत पर रखें।
- ✓ जब भी गाड़ी पीला सिग्नल से गुजरे, तो लोको पायलट को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए तथा अगले स्टॉप सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा।
- ✓ सिग्नल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर, लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकने तक हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें।
- ✓ गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न हो एवं पूरा ध्यान सिग्नल संकेत पर रखें।

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(गौरव कु. श्रावास्तव)
वरि.मं. व.इंजि.(परि.),नागपुर